संख्या-46/2025/आई/1056240/23-7-2025-23-7005(002)/2893/2020

प्रेषक,

प्रकश बिन्दु,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 12 अगस्त, 2025

विषय: लोक निर्माण विभाग में कार्यरत 23 विभिन्न श्रेणी के कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों के अर्हता/ग्रेड-वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 16.11.2011 में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-2366/23-7-11-160(कोर्ट)/05, दिनांक 16.11.2011 द्वारा लोक निर्माण विभाग में कार्यरत 23 विभिन्न श्रेणी के कनिष्ठ वर्ग के पदों की अर्हता/ग्रेड-वेतन का निर्धारण किया गया है, जिसमें अन्य पदों के अतिरिक्त क्रमांक-1, 11, 12, 13 तथा 15 पर अंकित मेट, स्टोर मुंशी, घाट दरोगा, जूनियर लैब सहायक तथा फोटो कॉपियर के पदों को प्राविधिक पद की श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए ग्रेड वेतन रू0 1800/- से उच्चीकृत करते हुए रू0 1900/- निर्धारित किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता (मु0-2), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-238 व्यगशा/04 व्यग(08)/2024, दिनांक 01.05.2025 द्वारा उक्त 23 विभिन्न श्रेणी के कनिष्ठ वर्ग के पदों की प्रास्थिति के संबंध में उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 16.11.2011 के क्रमांक-1, 11, 12, 13 तथा 15 पर अंकित पदों को गैर प्राविधिक पदों की श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार ग्रेड वेतन रू0 1900/- से परिवर्तित करते हुए रू0 1800/- नियत किया जाता है-

क्र0 सं0	पदनाम	भर्ती हेतु संबंधित पदों के लिए न्यूनतम अर्हता/अनुभव	शासनादेश दिनांक 16.11.2011 में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन		संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	
1	2	3	4	5	6	7
1	मेट	05 वर्ष की सेवा वाले बेलदार के पदों से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	5200-20200	1900	5200-20200	1800

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता-हाईस्कूल उत्तीर्ण तथा संबंधित क्षेत्र का 02 वर्ष का अनुभव।				
2	स्टोर मुंशी	सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता-हाईस्कूल उत्तीर्ण तथा संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव।	5200-20200	1900	5200-20200	1800
3	घाट दरोगा	सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता-हाईस्कूल उत्तीर्ण तथा संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव।	5200-20200	1900	5200-20200	1800
4	जूनियर लैब सहायक	सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता- हाईस्कूल विज्ञान वर्ग उत्तीर्ण तथा संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव।	5200-20200	1900	5200-20200	1800
5	फोटो कॉपियर	सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता-हाईस्कूल उत्तीर्ण तथा संबंधित क्षेत्र का 02 वर्ष का अनुभव।	5200-20200	1900	5200-20200	1800

3- उक्त परिवर्तन इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि शासनादेश दिनांक 16.11.2011 द्वारा घोषित पॉच प्रकार के पदों मेट, स्टोर मुंशी, घाट दरोगा, जूनियर लैब सहायक तथा फोटो कापियर के वर्तमान पदधारक उक्त शासनादेश दिनांक 16.11.2011 द्वारा निर्धारित अर्हता एवं वेतनमान के साथ यथावत बने रहें तथा इन पदों के किसी भी कारणवश रिक्त होने की स्थिति में इन पदों की प्रकृति-परिवर्तन करते हुए ये पद चतुर्थ श्रेणी के पदों (ग्रेड पे रू0 1800) में परिवर्तित कर दिये जाये।

4- शासनादेश संख्या-2366/23-7-11-160(कोर्ट)/05, दिनांक 16.11.2011 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश दिनांक 16.11.2011 में यह संशोधन रिट याचिका संख्या-11446/2014 संजीव महरोत्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अंतिम आदेशों के अधीन होगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-14/दस-2025, दिनांक 12 अगस्त, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रकाश बिन्दु)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-46/2025/आई/1056240(1)/23-7-2025-23-7005(002)/2893/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2-निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
4-प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0)/ग्रामीण सड़क, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
5-मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लो0नि0वि0, लखनऊ।
6-समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग।
7-वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन। (तीन प्रतियों में)
8-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।